प्रकीर्ण वाद संख्या- १३९/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ७०/२०१७)
प्रमोद कुमार रिछारिया बनाम हामिद अली आदि
<u>२०.११.२०२०</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची प्रमोद कुमार रिछारिया द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका विशेष न्यायाधीश (द.प्र. क्षेत्र)/एम.ए.सी.टी., झाँसी द्वारा दिनाँक ०२.११.२०१९ को निर्णीत की जा चुकी है। उक्त निर्णय के विरूद्ध विपक्षी दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. ने माननीय उच्च न्यायालय में एफ.ए.एफ.ओ. सं.१९७/२०२० प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनाँकित ०२.०३.२०२० के अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी को सम्पूर्ण धनराशि जमा करने का आदेश दिया गया है एवं जमा क्षतिपूर्ति धनराशि का ५० प्रतिशत याची को नकद तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली कम से कम ३ वर्ष की एफ.डी. में जमा किया जाना है, जिसका ब्याज याची प्राप्त करता रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति का चेक न्यायाधिकरण में जमा कर दिया है। अतः प्रार्थी ने याचना की है कि उसे प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में जमाशुदा धनराशि दिलाए जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थी ने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२ व स्वयं का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनाँकित ०२.०३.२०२० की छाया प्रति दाखिल की गयीं हैं।

प्रार्थी/याची मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रमोद कुमार ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उक्त एवार्ड के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक ७२ पर पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में ₹ **५,१९,३३७** जमा होने की प्रविष्टि है। अतः मेरे विचार से प्रार्थी/याची माननीय उच्च न्यायालय के एफ.ए.एफ.ओ. सं. १९७/२०२० न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम प्रमोद कुमार रिछारिया एवं २ अन्य मे पारित आदेश दिनाँकत ०२.०३.२०२० के प्रकाश में प्रकरण में जमा उक्त प्रतिकर की धनराशि में से ५० प्रतिशत धनराशि जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद व ५० प्रतिशत धनराशि एफ.डी.आर. के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ७०/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. १३९/२०२० प्रमोद कुमार रिछारिया बनाम हामिद अली आदि) के प्रकरण में प्रार्थी प्रमोद कुमार रिछारिया को जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant / Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Pramod Kumar Richhariya	259669	50	FD for 3 Years, interest of	___	Any Nationalized Bank	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.20 12:57:46 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

			which shall be paid in the account of the petitioner			
1. Pramod Kumar Richhariya	259668	50	Elect. Mode RTGS/NEFT	50100014955144	HDFC Bank Mauranipur Jhansi	HDFC0003002
Total	**519337**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।